न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, राजगढ़ जिला चूरू
पीठासीन अधिकारीः श्री दीपक पाराशर आर0जे0एस0(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी 58/2023
CNR- RJCH060001952023

एस के फाईनेंस लिमिटेड रजि0 ओफिस जी 1 एण्ड जी 2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर जरिये अधिकृत लीगल ब्रांच मैनेजर/प्रतिनिधि संदीप चैधरी पुत्र मोहरसिंह निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू -प्रार्थी

बनाम

1- राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक,राजगढ़ जिला चूरू।
2- सुरेन्द्र कुमार नेहरा पुत्र सरदार राम निवासी सिहोट छोटी जिला सीकर राजस्थान
-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत विक्रय किये जाने की अनुमति देने
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 157/2021 पीएस हमीरवास

उपस्थिति-
श्री राजकुमार मूंड अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
श्री राकेश सांगवान, अपर लोक अभियोजक
श्री रवि पूनियां अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं0 2

आदेश दिनांकः 5.1.2024

1- प्रार्थी एस के फाईनेंस द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो आर जे 36 यूए 1236 जो पूर्व से उनकी अंतरिम सुपुर्दगी पर है, को विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र की प्रति अपर लोक अभियोजक व अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता को दिलवाई गई।

2- बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ही पुनरावर्ती करते हुए यह तर्क दिया गया है कि पुलिस थाना हमीरवास की प्राथमिकी संख्या 157/2021 में जब्तशुदा वाहन बोलेरो आर जे 36 यूए 1236 न्यायालय के आदेश से उनके पास सुपुर्दगी पर है। वाहन खडा रहने से उसके मूल्य का हान्स हो रहा है तथा वाहन यार्ड में खडा है

जिसका किराया भी प्रार्थी को वहन करना पड रहा है। वाहन उनकी कम्पनी से हाईपोथेकेशन पर है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वाहन की किस्ते नहीं चुकाई गई इसलिए उक्त वाहन को निलाम कर राशि अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में समायोजित करने की अनुमति प्रदान की जावे।

3- जिसका विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कोई विरोध नहीं किया है और अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता को वाहन को निलाम कर राशि उसके खाते में समायोजित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

4- मेरे द्वारा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पुलिस थाना हमीरवास की प्राथमिकी संख्या 157/2021 अपराध धारा 279, 302, 504, 143, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 में जब्तशुदा वाहन बोलेरो आर जे 36 यूए 1236 इस न्यायालय के आदेश से प्रार्थी के पास सुपुर्दगी पर है। मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अपर लोक अभियोजक ने जाहिर किया है कि पुलिस को व विचारण के दौरान उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है।

5- जहां तक वाहन को विक्रय करने का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक बनाम राज्य 2006 सीआर एल जे 86 पी एण्ड एच में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब्तशुदा वाहन को बेचने से बैंक व अभियुक्त दोनो को फायदा होगा और उस शर्त के तहत जब्तशुदा वाहन को विक्रय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनरल इन्श्योरेंस काउंसिल व अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एस सी में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब्तशुदा वाहन को मजिस्ट्रेट द्वारा उसके फोटोग्राफस एवं विस्तृत पंचनामा बनाने के पश्चात उचित पक्षकार के पक्ष में छोड/रिहा कर देना चाहिए एवं उचित विस्तृत पंचनामा व फोटोग्राफस को भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन/आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

6- अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को वाहन विक्रय करने में कोई आपत्ति नहीं है। वाहन के खडे रहने से उसके मूल्य में हान्स होने से इन्कारी नहीं की जा सकती। वाहन निलामी से जो राशि प्राप्त होगी वह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में जमा होगी जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 2 का ही हित

सिद्ध होगा। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी एस के फाईनेंस लिमिटेड का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन बोलेरो आर जे 36 यूए 1236 के संबंध में सुपुर्दगी पर दिये गये सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा को निरस्त करते हुए उक्त वाहन को रंगीन फोटोग्राफस खींचने के उपरांत बेचने/निलाम करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी निलामी से पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को सूचित करने को आबद्ध रहेगा। इस संबंध वाहन की बीमा कम्पनी को भी सूचित किया जावे तथा विधि के अनुसार की गई निलामी कार्यवाही की रिपोर्ट मय निलामी पूर्व वाहन के खेंचे गये फोटोग्राफस न्यायालय में प्रस्तुत किये जावें।

( दीपक पाराशर )
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ (चूरू)

आदेश आज दिनांक 5.1.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( दीपक पाराशर )
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ (चूरू)